तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील सीलिंग / 2005 / 1783 / दौसा** **भवानी प्रताप सिंह बनाम भौरया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–

श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक प्रार्थी
श्री श्यामबाबू पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1
श्री लोकेन्द्र सिंह, उप राजकीय अभिभाषक

दिनांक : 14 जनवरी, 2021

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–23(2) राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1973 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 04–3–2005 के पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर–63/1 कुल रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा अन्य भूमि खसरा नम्बर–57, 56, 5/205, 138/1, 66, 4, 159, 106/204 व 33 के साथ गुमानीराम पुत्र चिमनाराम राजपूत की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। श्री गुमानीराम का स्वर्गवास दिनांक 11–1–71 को हुआ। श्री गुमानीराम ने मृत्यु से पूर्व दिनांक 15–9–70 को अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की गई थी, जिसके आधार पर अपीलान्ट उक्त भूमि खसरा नम्बर–63/1 का खातेदार कृषक हुआ और काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विरासत का जो नामान्तरकरण संख्या–64 ग्राम पंचायत कालूवास ने दिनांक 20–10–73 को तस्दीक किया उसमें उक्त भूमि खसरा नम्बर–63/1 गलत तरीके से श्री रघुनाथ सिंह के नाम दर्ज कर दी गयी। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण संख्या–64 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसे उप जिलाधिकारी, दौसा द्वारा स्वीकार करते हुये ग्राम पंचायत को उक्त वसीयत के आधार पर जांच कर पुनः नामान्तरकरण खोलने का आदेश दिनांक 19–10–76 को पारित कर दिया। उक्त नामान्तरकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील सीलिंग / 2005 / 1783 / दौसा</u>** **भवानी प्रताप सिंह बनाम भौरया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या-64 के विरूद्ध किसी पक्षकार द्वारा कोई अपील आदि नहीं की गई और वह नामान्तरकरण अंतिम हो गया। यद्यपि गुमानीराम का दिनांक 11-1-71 को ही स्वर्गवास हो चुका था परन्तु फिर भी गुमानीराम को ही भूमि विवादग्रस्त का खातेदार मानते हुये सीलिंग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सीलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और उप जिलाधिकारी, दौसा ने पत्रावली संख्या-50/73 में दिनांक 31-5-73 को निर्णय पारित कर खातेदार के नाम 173 बीघा 5 बिस्वा भूमि होना मानते हुये 59 बीघा 8 बिस्वा भूमि कम करने पर 113 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 71-5/32 एकड़ भूमि शेष रहना और एक यूनिट के परिवार के हिसाब से 54 एकड़ भूमि खातेदार अपने पास रखने का ही अधिकारी होना मानते हुये 17-5/32 एकड़ भूमि सीलिंग में अधिग्रहण योग्य होना मानते हुये निर्णय पारित कर दिया। प्राधिकृत अधिकारी / उप जिलाधिकारी, दौसा के निर्णय दिनांक 31-5-75 के विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की, जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर ने दिनांक 20-3-76 के अपने निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 20-3-76 के विरूद्ध अपीलर्थी ने सीलिंग अधिनियम, 1973 की धारा-23(2) के अन्तर्गत अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की। रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 के पक्ष में दिनांक 30-6-76 को पारित किये गये उपरोक्त वर्णित आबंटन आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने एक आवेदन अन्तर्गत नियम 17(4) सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने दिनांक 4-3-2005 के अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा निरस्त फरमा दिया। जिसके विरूद्ध मण्डल के समक्ष ये अपील प्रस्तुत की गई हैं। 3- बहस उभयपक्ष सुनी गई। 4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 4-3-2005 एवं आबंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी, दौसा दिनांक 30-6-76 तथ्यों एवं कानून के	

	विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, दौसा ने दिनांक 30-6-76 को भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर-63/1 मिन रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा का आबंटन रेस्पो. संख्या-1 के पक्ष में किये जाने की प्रक्रिया में राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1973 के तहत बने नियम 1973 के किसी भी नियम की कोई पालना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य पूर्णतः स्पष्ट होने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वास्तविक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा का निर्णय दिनांक 4-3-2005 एवं आबंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी, दौसा का आदेश दिनांक 30-6-76 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में सीलिंग अपील संख्या-1517/2005 में राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 16-1-2020 की प्रति प्रस्तुत की। 5- राज्य पक्ष की ओर से योग्य अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी सीलिंग अधिग्रहित भूमि रही है जो कि राजकीय सिवाय चक भूमि की श्रेणी में आती है। आवंटन की कार्यवाही में राज्य पक्ष एवं आवंटीगण ही वास्तविक पक्षकार होते हैं। अपीलार्थी का किसी प्रकार का आवेदन आवंटन हेतु पेंडिंग नहीं रहा है और वे प्रकरण में किसी प्रकार से एग्रीव्ड भी नहीं हैं। असाधारण देरी से प्रस्तुत किए गए नियम 17(4) आवंटन नियम, 1970 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अपील में किसी प्रकार का सार नहीं होने से अपील खारिज की जाये। 6- रेस्पोडेन्ट संख्या-1 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी सीलिंग अधिग्रहित भूमि रही है जो कि राजकीय सिवाय चक भूमि की श्रेणी में आती है। अतः अपीलार्थी तो प्रकरण में किए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील सीलिंग / 2005 / 1783 / दौसा</u>** **भवानी प्रताप सिंह बनाम भौरया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गए आवंटनों से किसी प्रकार से व्यथित भी नहीं हैं और ना ही आवंटन के समय उनका किसी प्रकार का आवंटन आवेदन पेंडिंग रहा है। नियमानुसार आवंटन कमैटी द्वारा सिवाय चक भूमि में से रेस्पो. के पक्ष में आवंटन किया है जो कि उसी ग्राम के निवासी हैं। जिस स्थगन आदेश का अपीलार्थी ने हवाला दिया है उसमें स्पष्ट नहीं है कि वह किस खसरा नम्बर के सम्बन्ध में है। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन के 10 वर्षो के पश्चात् आवंटीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और करीब 25 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद आवंटनों को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा चाराजोही की गई है, जब कि खातेदारी प्राप्त करने के उपरान्त आवंटनों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि आवंटन को सिर्फ उसी स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जब कि वह फ्राड या मिस-रिप्रजेन्टेशन के आधार पर किया गया हो जब कि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई फ्राड या मिस-रिप्रजेन्टेशन आवंटन कराने में किया गया हो, स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रुप से परीक्षण करते हुये अपीलार्थी के द्वारा आवंटन दिनांक 30-6-1976 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदनों को खारिज किया है। इस आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से अपील खारिज की जावे। 7- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 8- प्रकरण में परीक्षण पर सुस्पष्ट है कि दिनांक 30-6-1976 को आवंटन कमैटी द्वारा गोविन्दनारायण पुत्र बद्री नारायण ब्राह्मण को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 2 बिस्वा, ग्यारसा पुत्र बिरदा कौम माली को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, नानगा पुत्र छोटू भंगी को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 6 बीघा 12 बिस्वा, महादेवा पुत्र छीतर धोबी को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, लल्लू पुत्र कजोड पटवा को खसरा नम्बर 139 मि0 में से 3 बीघा 3 बिस्वा, हनुमान पुत्र	

छीतर को खसरा नम्बर 139 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, लाद्या पुत्र झूॅथालाल माली को खसरा नम्बर 63/1 में से 3 बीघा 12 बिस्वा, सत्यनारायण पुत्र सुवालाल को खसरा नम्बर 63/1 मि0 में से 3 बीघा 12 बिस्वा, सत्यनारायण पुत्र संवालाल ब्राह्मण को खसरा नम्बर 57 मि0 में से 2 बीघा 8 बिस्वा, भौर्‌या पुत्र रामपाल माली को खसरा नम्बर 63/1 मि0 में से 3 बीघा 11 बिस्वा, गोपाल पुत्र कालू नाई को खसरा नम्बर 57 में से 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। ये सभी आवंटन सीलिंग अधिग्रहित भूमि होने से और इस प्रकार आवंटित भूमि के राजकीय सिवाय चक भूमि हो जाने से, राजकीय भूमि में से किए गए हैं। अपीलार्थी/आवेदक का मुख्य आक्षेप यही है कि आवंटन कार्यवाही में माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में अति0 कलक्टर, दौसा ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि "प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया। स्थगन आदेश किस खसरा नम्बरान के बारे में है, स्पष्ट नहीं है। आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किए गए हैं वे भवानी प्रताप व सुभानकॅवर द्वारा प्रस्तुत किये हैं जब कि स्टे में रघुनाथ सिंह का नाम है।" अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील में बिन्दु संख्या 4 में अपील संख्या 372/76 अनुवानी मंगेज सिंह बनाम सरकार में माननीय राजस्व मण्डल के दिनांक 8-6-1976 के स्थगन आदेश का उल्लेख किया है, किन्तु आशय का कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपील के बिन्दु संख्या-5 में भी इसी आशय का उल्लेख किया है किन्तु इसे साबित करने हेतु किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी का माननीय मण्डल के स्थगन आदेश की अवहेलना कर आवंटन करने का जो आक्षेप रहा है वह संधारण योग्य नहीं है। प्रकरण में ये भी सुस्पष्ट है कि वर्ष 1976 में किए गए आवंटनों को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी/शिकायतकर्त्ता द्वारा वर्ष 2001 में काफी लम्बे समय के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जब कि आवंटन के 10 वर्ष उपरान्त ही खातेदारी पाप्त हो जाने का प्रावधान है। यहाॅ ये भी अंकित किया जाना उचित होगा कि अपीलार्थी पक्ष ने ये आक्षेप नहीं लिया है कि आवंटन किसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील सीलिंग / 2005 / 1783 / दौसा** **भवानी प्रताप सिंह बनाम भौरया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार से फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन करते हुये कराया गया है जब कि आवंटन को उसी स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जब कि आवंटन कराने में किसी प्रकार से फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन किया गया हो। पत्रावली पर इस आशय की कोई साक्ष्य नहीं रही है कि आवंटन फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन के आधार पर किये गए हैं। वर्ष 1976 में किए गए आवंटन को आज की स्थिति में केवल तकनीकी आधार मात्र पर निरस्त किया जाना नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों के स्पष्टतया प्रतिकूल है। जहॉ तक अपीलार्थी का प्रकरण में आवंटनों से व्यथित होने का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि आवंटन सीलिंग अधिग्रहित राजकीय सिवाय चक भूमि में से किया गया है तो आवंटन के समय अपीलार्थी का आवंटन हेतु किसी प्रकार का आवेदन भी आवंटन कमैटी के समक्ष लंबित नहीं रहा है, अतः अपीलार्थी प्रश्नगत आवंटनों से किस प्रकार से व्यथित हैं ये भी समझ योग्य नहीं है। आवंटन कमैटी ने विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुये उसी गॉव के भूमिहीन व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन किए हैं। अतः प्रश्नगत आवंटनों में हम किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधता होना नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत रुप से परीक्षण करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवंटन नियम, 1970 के नियम 17(4) के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया है। इस निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से हस्तगत अपीलों के माध्यम से इस निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील सीलिंग / 2005 / 1783 / दौसा** **भवानी प्रताप सिंह बनाम भौरया**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए